



HIMACHAL PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

REPORT ON

One day Training workshop on: “Biological Diversity Act, 2002 and its Access & Benefit Sharing provisions” at CSK-HPKV, Palampur in District Kangra.

At CSK-HPKV, Palampur, District Kangra on 27th September, 2018.

One day Training workshop on “Awareness Advocacy Workshop: Biological Diversity Act, 2002 and its Access & Benefit Sharing provisions” at CSIR-IHBT Palampur in District Kangra.

Agenda:

- Awareness building on the Biological Diversity Act, Rules, and Access and Benefit Sharing Provisions with emphasis on conservation of Traditional knowledge associated with the local biological resources.
- Awareness/capacity building on conservation and sustainable utilization of biological resources and role on BMCs constituted for conservation of traditional varieties/breeds of economically important plants and animals.
- Knowledge regarding specific roles and functions of the BMCs for conservation of Traditional knowledge and associated biological resources.
- Identify the available options, at local level, to secure the benefits of conservation and sustainable management of biological resources.

Venue:

- ✓ Conference Hall, CSIR-Himachal Pradesh Agriculture University, Palampur on 27th September, 2018.

Date:

- ✓ 27th September, 2018, CSIR-Himachal Pradesh Agriculture University, Palampur, District Kangra.

Time: 10:00am to 5pm

Himachal Pradesh State Biodiversity Board mandate to advise the State Government on matters relating to biological diversity. The objectives of the Biological Diversity Act, 2002 are to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources and associated knowledge. The need to spread Biodiversity awareness is enormous in the context of successfully addressing Biodiversity Conservation problems, Biological Diversity Act 2002 and rules 2004 address the same. It is associated to biodiversity education such as conservation, sustainable use and protect valuable bioresources. Awareness on Biological Diversity Act, 2002 creates greater awareness in individuals and communities with respect to putting environmental resources to use even while conserving them and greater the awareness increases especially

within the line departments of the government, the scope of sustainable use and conservation practices for protecting our valuable biodiversity also increases. In order to conserve and sustain biodiversity of the State and to implement programmes and strategies related with biodiversity conservation at the state and national level it was realized that the everybody should be made aware about the provisions, scopes and role of Biological Diversity Act, 2002 and also highlighting responsibilities and duties of the associated line departments in implementation of Biological Diversity Act, 2002.

In this context Himachal Pradesh State Biodiversity Board (HPSBB) organized a one day Training workshop on “Awareness Advocacy Workshop: Biological Diversity Act, 2002 and its Access & Benefit Sharing provisions” in CSIR-IHBT on 27th September, 2018 CSK-HPKV, Palampur in which Faculty members, Scientists and Research Scholars participated.

The motive of this training workshop was to increase the understanding and awareness about the importance, role and issues concerning biodiversity. Information about conservation and sustainable use of bio-resources in the State was also disseminated. During the training workshop, Faculty members, Scientists and Research Scholars were sensitized about the importance of provisions of Biodiversity, Biological Diversity Act, 2002 and Rules, 2004, process of constitution of Biodiversity Management Committees (BMC) at local level, roles of Biodiversity Management Committees, Preparation of People’s Biodiversity Registers (PBR) and Access and Benefit Sharing (ABS) of the biological resources.

Guest of Honor for training workshop on 27th September, 2018 at CSK-HPKV was Prof. Ashok Kumar Sarial, Vice Chancellor, CSK-HPKV. Officials from HP State biodiversity Board also participated in the training workshop.

Technical Session

Dr. Pankaj Sharma from State Biodiversity Board presented his presentation on Biodiversity Management Committees (BMCs), its role and responsibilities in implementation of Biological Diversity Act, 2002 in Himachal Pradesh. In his presentation Constitution of

Biodiversity Management Committees was discussed first and it was told that The Biodiversity Management Committee is constituted as per the Sub-rule (1) and it shall consists of Chairperson and not more than 6 persons nominated by the Local Self Government, of whom not less than one third should be women and not less than 18% should belong to the Schedules Caste/Scheduled Tribes. Time period for Operationalization, Office of the BMC and Tenure of BMCs were discussed. Mandate of BMC's were discussed followed by role, duties and functions of the BMCs. Dr. Pankaj also elaborated on the process of People Biodiversity Registers preparation, its importance and its role in Access and Benefit Sharing provisions. He explained the need and scope of PBRs followed by examples of many valuable bio-resources specific to the state of Himachal Pradesh. He also provided information on documentation and conservation of Traditional Knowledge associated with these bioresources, he also signified the importance of preparing a document such as PBR. He also elaborated on the main functions of the BMC in order to prepare People's Biodiversity Registers in consultation with local people and it was also told that the Peoples Biodiversity Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.

Dr. Murari Lal Thakur from State Biodiversity Board gave presentation on Access and Benefit Sharing (ABS) mechanism and its relevance in Himachal Pradesh. Conception and enactment of the Biological Diversity Act, 2002 was initially discussed. CBD its objective and objectives of the BD Act, 2002 were informed to the participants. Nagoya Protocol on ABS was discussed which is based on the fundamental principles of prior informed consent (PIC), Mutually agreed terms (MAT), official checkpoint. Benefit-sharing obligations were discussd which were:



- Domestic-level benefit-sharing measures will provide for the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, as well as subsequent

applications and commercialization, with the contracting Party providing genetic resources.

- Utilization includes research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources.
- Sharing is subject to mutually agreed terms.
- Benefits may be monetary or non-monetary such as royalties and the sharing of research results

Traditional knowledge associated with genetic resources with provisions on access, benefit sharing and compliance were also discussed. Next in the presentation information on ABS provisions under BD Act, 2002 were discussed. Afterwards Benefit Sharing Options and Economic Importance of Bioresources present in the State of Himachal Pradesh were informed to the participants. A brief information regarding Bio-resource based industries and their global market share was discussed. Next determination of benefit sharing, PIC & MAT options, certain activities or persons exempted from approval of NBA or SBB, Fair and equitable benefit sharing options and non-monetary benefits of ABS provisions were discussed. In the final part of presentation some examples of ABS from India were discussed.

Glimpses of Event



प्रदेश की औषधीय पौधों की प्रजातियों पर मंडरा रहा खतरा

70 प्रतिशत जैव विविधता का किया दस्तावेजीकरण : कुलपति

पालमपुर, 27 सितम्बर (भुग): जैव विविधता को लेकर देश विश्व के 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है। देश में 70 प्रतिशत जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है जिसके अंतर्गत 95,000 पशुधन प्रजातियाँ तथा 49,000 पौध प्रजातियाँ शामिल हैं। यह जानकारी कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने कृषि विरविद्यालय में जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत आयोजित समूह बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जैव संसाधनों के संरक्षण के लिए ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी को बढ़ाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव संसाधनों का संरक्षण उनका सतत तथा संगुलित उपयोग व संसाधनों का सम विभाजन 3 प्रमुख सिद्धांत हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा राज्य में पाए जाने वाली प्रजातियाँ स्थानीय हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीण परिवेश के लोग आज भी औषधीय पौधों पर निर्भर हैं तथा लगभग 500 औषधीय पौधों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, वहीं बड़ी संख्या में औषधीय पौधों



पालमपुर : जैव विविधता पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित कुलपति अशोक कुमार सरयाल व अन्य। (ऊपर) व कार्यक्रम में भाग लेते विश्वविद्यालय के छात्र। (भुग)

को उद्योग जगत में भी मांग है जिसके परिणामस्वरूप औषधीय पौधों का व्यापार बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के बहुत से औषधीय पौधों की प्रजातियाँ पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। इस अवसर पर शोध निदेशक डा. आर.एस.

जयवाल ने बताया कि जैव विविधता कृषि का प्रमुख आधार है। ऐसे में इसे बनाए रखना खाद्यान्न उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के समन्वयक डा. एम.एल. ठाकुर ने जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा इसकी हिमाचल में प्रासंगिकता

के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. पंकज शर्मा, पौध संरक्षण अधिनियम के नेडल अधिकारी डा. राकेश कपिला, डा. मधुसूत सिंघ व डा. जे.डी. शर्मा के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, विभिन्न विद्यालयों के निदेशक तथा छात्र उपस्थित रहे।



जैव संसाधन संरक्षण में ग्रामीणों की भूमिका अहम

■ कृषि विवि जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर समूह परिचर्चा

पालमपुर, 27 सितंबर (जसवंत कठियाल): चौधरी सरवन कुमार प्रदेश कृषि विवि के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जैव संसाधनों के संरक्षण में प्रदेश की ग्रामीण जनता की बहुत ज्यादा भूमिका है। कुलपति वीरवार को जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर समूह परिचर्चा तथा अधिनियम की लोगों तक पहुंच व जन-भागीदारी के लिए निहित प्रावधानों पर परस्पर विचारमंश पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे। कुलपति ने कहा कि विश्व के 35 जैव विविधता स्थलों में भारत भी शामिल है। देश की लगभग



कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल व अन्य।

70 प्रतिशत जैवविविधता अब तक पुस्तकबद्ध की जा चुकी है। जिसमें 95 हजार जीव प्रजातियां व 49 हजार वनस्पतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के मुख्य तीन मूल सिद्धान्त हैं- संरक्षण, टिकाऊ उपयोग तथा संसाधनों का समान वितरण। प्रो. सरयाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी जैवविविधता से

परिपूर्ण है और कई वनस्पतियों की प्रजातियां तो यहां की ही स्थानिक हैं जो कि यहां की जैवविविधता की समृद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अधिकतर लोग इनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को इनसे पूरा करते हैं और कई लोग जो इनके संग्रह कार्यों में लगे होते हैं, वे अपनी इन्हीं वस्तुओं के व्यापार से अपनी वार्षिक आय प्राप्त

करते हैं। कुलपति ने कहा कि बहुत औषधिय पौधे विलुप्त होने के कारण भी हैं, अतः इनके बारे सभी सम्बन्धि सहभागियों में समय-समय पर इ बचाने के लिए जागरूकता व विचार विमर्श होता रहना चाहिए। पौधा प्रजा संरक्षण और किसान अधिक अधिनियम तथा जैवविविधता नोडल अधिकारी डा. राकेश कपि ने कुल्लू जिला में वनस्प जैवविविधता पंजीकरण की प्रक्रिया अनुभवों को कार्यक्रम में सांझा कि इस अवसर पर डा. मधुमीत सिंह त डा. जे.डी. शर्मा ने जैविक विविध अधिनियम 2002 की गाईडलाइन- फ्रेमवर्क तथा उपयोगिता पर अ विचार रखे।

दैनिक सवेरा

Fri, 28 September 2018
dainiksaveratimes.epapr.in/c/32615180



जैव विविधता संरक्षण पर बल

कार्यक्रम में बोले कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक सरयाल

■ कार्यालय संवाददत्ता, पालमपुर

श की लगभग 70 प्रतिशत जैव विविधता अब तक पुस्तकबद्ध की जा चुकी है। इसमें 95 हजार जीव प्रजातियां व 49 हजार वनस्पतियां शामिल हैं। विश्व के 35 जैव विविधता स्थलों में भारत भी शामिल है। लगभग 500 जड़ी-बूटियों का योग लोग विभिन्न बीमारियों के पचार के लिए करते हैं और कई जड़ी-बूटियों की उद्योग जगत में भारी मांग रहती है, जिनके व्यापार से लोगों को भारी मुनाफा भी होता है। इस आशय की जानकारी 'जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर समूह परिचर्चा तथा अधिनियम की लोगों तक पहुंच व जन-भागीदारी के लिए निहित प्रावधानों पर परस्पर

विचार-विमर्श' पर आयोजित एक कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने दी। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। शोध निदेशक डा. आरएस जमवाल ने विश्वविद्यालय में जैव विविधता को प्रोत्साहित करने हेतु चल रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के राज्य परियोजना समन्वयक डा. एमएल ठाकुर ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदेश के लोगों तक इसकी पहुंच बनाने और लोगों को इसमें भागीदार बनाकर लाभान्वित करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की विस्तार से

जानकारी दी। राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. पंकज शर्मा ने जैवसंसाधनों के संरक्षण व टिकाऊपन के लिए सहभागी लोगों को जैविक विविधता अधिनियम 2002 में उनकी भूमिका व उत्तरदायित्वों पर विचार रखे। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के मुख्य तीन मूल सिद्धान्त हैं- संरक्षण, टिकाऊ उपयोग तथा संसाधनों का समान वितरण।

हिमाचल प्रदेश भी जैवविविधता से परिपूर्ण है और कई वनस्पतियों की प्रजातियां स्थानिक हैं जो कि यहां की जैवविविधता की समृद्धता को दर्शाता है। दूरदराज क्षेत्रों के अधिकतर ग्रामीण लोग औषधिय पौधों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं।

दिव्य हिमाचल

Fri, 28 September 2018
epaper.divyahimachal.com/c/32613662



प्रदेश की समृद्धता को दर्शाती है जैव विविधता

जैविक विविधता अधिनियम पर कार्यक्रम में बोले कुलपति

हिमाचल दस्तक। पालमपुर

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जैव संसाधनों के संरक्षण में प्रदेश की ग्रामीण जनता की बहुत ज्यादा भूमिका है। कुलपति खीरवार को 'जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर समूह परिचर्चा तथा अधिनियम की लोगों तक पहुंच व जन-भागीदारी के लिए निहित प्रावधानों पर परस्पर विचारमर्श' पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। कुलपति ने कहा कि विश्व के 35 जैव विविधता स्थलों में भारत



पालमपुर। वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते कुलपति।

भी शामिल है। देश की लगभग 70 प्रतिशत जैवविविधता अब तक पुस्तकबद्ध की जा चुकी है, जिसमें 95 हजार जीव प्रजातियों व 49 हजार वनस्पतियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के मुख्य तीन मूल सिद्धांत हैं- संरक्षण, टिकाऊ

उपयोग तथा संसाधनों का समान वितरण। प्रो. सरयाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी जैवविविधता से परिपूर्ण है और कई वनस्पतियों की प्रजातियां तो यहां की ही स्थानिक हैं जो कि यहां की जैवविविधता की समृद्धता को दर्शाता है।

दन हुए नायब तहसालदार। अमर उजाला

मिथिलाज-10044 गीवा 1004 521074

सूत्रेहाल

कृषि विवि में बोले वीसी-विभिन्न बीमारियों का 500 जड़ी-बूटियों से हो रहा इलाज

गांव के लोगों का औषधीय पौधों पर अधिक विश्वास : सरयाल

अमर उजाला ब्यूरो

पालमपुर (कांगड़ा)। प्रदेश के जैव संसाधनों के संरक्षण में प्रदेश की ग्रामीण जनता की बहुत ज्यादा भूमिका है। दूरदराज क्षेत्रों के अधिकतर ग्रामीण लोग औषधीय पौधों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। करीब 500 जड़ी-बूटियों का प्रयोग लोग विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए करते हैं। यह बात कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने कही।

विवि में जैविक विविधता व जैव संसाधनों की लोगों तक पहुंच और जन-भागीदारी के लिए निहित



प्रावधानों पर परस्पर विचार विमर्श पर आयोजित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीसी ने कहा कि विश्व के 35 जैव विविधता स्थलों में भारत भी शामिल

है। देश की करीब 70 प्रतिशत जैव विविधता अब तक पुस्तकबद्ध की जा चुकी है। इसमें 95 हजार जीव प्रजातियों और 49 हजार वनस्पतियां शामिल हैं। प्रदेश भी जैव विविधता

से परिपूर्ण है और कई वनस्पतियों की प्रजातियां तो यहां की ही स्थानिक हैं, जो यहां की जैवविविधता की समृद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा अधिकतर लोग इनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को इनसे पूरा करते हैं।

शोध निदेशक डॉ. आरएस जंवाल ने कहा कि जैव विविधता कृषि का आधार है और खाद्य उत्पादन में इसका बचाव जरूरी है। जैव विविधता बोर्ड के राज्य परियोजना समन्वयक डॉ. एमएल ठाकुर, डॉ. पंकज शर्मा, नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कपिला, डॉ. मधुमति सिंह और डॉ. जेडी शर्मा ने आदि ने भी विचार रखे।

1004 521074

सभी करें औषधीय पौधे बचाने का प्रयास : सरयाल

जागरण संगठनदाता, पालमपुर : कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. अशोक कुमार सरयाल ने कहा कि प्रदेश के जैव संसाधनों के संरक्षण में ग्रामीण जनता की ज्यादा भूमिका है। लुप्त हो रहे औषधीय पौधों को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। कुलपति वीरवार को जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर समूह परिचर्चा के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान अधिनियम की लोगों तक पहुंच व भागीदारी के लिए निहित प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

कुलपति ने कहा कि विश्व के 35 जैव विविधता स्थलों में भारत भी शामिल है। देश की लगभग 70 प्रतिशत जैव विविधता अब तक किताबों में दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 95 हजार जीव प्रजातियां व 49 हजार वनस्पतियां शामिल हैं। लगभग 500 जड़ी-बूटियों का प्रयोग लोग विभिन्न बीमारियों के



कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राएं • जागरण

उपचार के लिए करते हैं। शोध निदेशक डॉ. आरएस जम्वाल ने विश्वविद्यालय में जैव विविधता को प्रोत्साहित करने हेतु चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के

परियोजना समन्वयक डॉ. एमएल ठाकुर ने लोगों तक इसकी पहुंच बनाने की जानकारी दी। प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज शर्मा ने जैव संसाधनों के संरक्षण व टिकाउपन

के लिए लोगों की भूमिका पर विचार रखे। इस दौरान जैव विविधता के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कपिला, डॉ. मधुमीत सिंह तथा डॉ. जेडी शर्मा ने विचार रखे।